**डा0 के0एस0 प्रताप कुमार, पुलिस महानिरीक्षक, इलाहाबाद जोन, इलाहाबाद की अध्यक्षता में दिनांक: 10.01.2017 को पुलिस लाइन, प्रतापगढ़ (सई काम्प्लेक्स) में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी, प्रभारी निरीक्षकों/थानाध्यक्षों/शाखा प्रभारियों के साथ आहूत आगामी विधान सभा चुनाव-2017 व अपराध समीक्षा गोष्ठी का कार्यवृत्त।**

उपस्थित अधिकारीगणः-

1- श्री [illegible] नाथ, अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी।
2- श्री [illegible] कुमार पाण्डेय, अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी।
3-श्री [illegible] कुमार, क्षेत्राधिकारी कुण्डा।
4- श्री [illegible] शेखर दीक्षित, क्षेत्राधिकारी नगर।
5-श्री [illegible] प्रकाश सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर।
6-श्री कुल भूषण ओझा, क्षेत्राधिकारी पट्टी।
7-श्री संतोष कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी रानीगंज।
8-श्री बी0आर0 प्रेमी, क्षेत्राधिकारी लालगंज।
9-श्री [illegible] प्रसाद, निरीक्षक, प्रज्ञान।
10-समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्ष जनपद प्रतापगढ़।
11-समस्त शाखा प्रभारी, जनपद प्रतापगढ़।
12-प्रधान लिपिक/आंकिक।

गोष्ठी का प्रारम्भ करते हुए अवगत कराया गया कि विधान सभा चुनाव-2017 के निर्वाचन तिथियों की घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक:04.01.2017 को की गयी है, उक्त दिनांक से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी है, जिसका अनुपालन करना व कराना हम सभी का प्रमुख दायित्व है। इस उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए पूर्ण मनोयोग एवं निष्पक्षता से कार्य किये जाने की आवश्यकता है। जनपद प्रतापगढ़ काफी चर्चित/संवेदनशील रहा है, चुनाव आयोग तथा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की नजर जनपद प्रतापगढ़ पर रहती है। दिनांक: 20.12.2016 को उपनिर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तैयारियों के सम्बंध में जनपद इलाहाबाद में समीक्षा गोष्ठी की गयी थी। गोष्ठी के दौरान भी जनपद प्रतापगढ़ के चुनाव की संवेदनशीलता पर चर्चा हुयी थी इसलिए जनपद प्रतापगढ़ का चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए भयमुक्त वातावरण बनाना पड़ेगा। सभी राजनैतिक दलों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा। जनपद प्रतापगढ़ की पुलिस की अपराध एवं अपराधियों के प्रति उदासीनता स्पष्ट परिलक्षित होती है, जिसका उदाहरण है कि विगत माह दिसम्बर से अब तक जनपद में 18 हत्या एवं 24 लूट की घटनाएं घटित हुई है। लूट की कुछ घटनाओं को छोड़कर अधिकांश घटनाओं का अनावरण नहीं हुआ है, जो जनपद प्रतापगढ़ की पुलिस के [illegible] का द्योतक है।

चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है इसलिए अब आपके पास कोई कारण नहीं बचता है कि आप परफारमेंस न कर सकें, यदि आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा तो बाध्य होकर सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। सभी को निष्पक्ष तरीके से कार्य करना होगा, मन में बैठे हुए भय को हटाना पड़ेगा, आप सभी के सही एवं विधिक कार्यों के साथ मेरा समर्थन है। आपको यह मौका मिला है कि आप अपनी छवि सुधारें और आने वाले 02 महीने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें।

पुलिस महानिदेशक, महोदय द्वारा चुनाव के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का गहनता से परिशीलन कर लें। मॉडल कोड आफ कन्डक्ट को आप सभी को समझना होगा। वर्ष 2012 में हुई विधान सभा चुनाव के सम्बन्ध में घटित घटनाओं के बारे में जानकारी सभी को होगी। चुनाव से सम्बन्धित अफेन्डेंस को तत्काल पाबन्द कराने की कार्यवाही करायें। चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराये जाने के संबंध में जो निर्देश है उसको आप सभी को गहनता से पढ़ना चाहिए एवं तद्नुसार अनुपालन करायें। जब तक उसका अध्ययन नहीं करेगें तो सही जानकारी आपको नहीं होगी।

आप लोगों द्वारा अपने- अपने थाना क्षेत्र के लगे बैनर पोस्टर एवं वाल राइटिंग आदि हटवा दिये गये होगें, फिर भी आप सभी अपने क्षेत्र के समस्त स्थानों का पूर्ण और अच्छी तरह भ्रमण करके यह सुनिश्चित कर लें कि जहॉ भी बैनर एवं पोस्टर अथवा वाल पेंटिंग देखें तो तुरन्त उसको हटवा दें एवं उसे निर्धारित रंग से पोतवा दें। नीली एवं लाल बत्ती लगी गाड़ियों एवं उन पर लगे झण्डे के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करें जिन गाडियों पर नियम विरूद्ध बत्ती एवं झण्डा लगा हो उसे तत्काल उतरवा दें, क्योंकि चुनाव आचार संहिता में इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं, जिनका अनुपालन सभी के द्वारा सुनिश्चित कियाा जाय। चुनाव आचार संहिता में लाउडस्पीकर बजने पर प्रतिबन्ध है, इसका भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

अवैधानिक रूप से की जाने वाली मीटिंग के सम्बन्ध में इस जनपद से कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, कड़ाई से कार्यवाही होनी है, बिना अनुमति के मीटिंग करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही की जाय।

प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 03-03 फ्लाइंग स्क्वाड बनाये गये हैं। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा एम0सी0सी0 का पालन करते हुए कार्यवाही की जाय।

चुनाव आचार संहिता के अन्तर्गत शस्त्रों को 90 प्रतिशत जमा कराना है। यदि शस्त्र लाइसेंसी बाहर निवास कर रहा है तो उससे फोन से बात कर लें, क्योंकि यदि वोटर है तो जरूर वोट डालने आयेगा। जिन शस्त्र धारकों के शस्त्र जमा न कराया जाना हो उनको स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रख कर तत्काल निर्णय प्राप्त कर लें। क्रियाशील अपराधियों की गिरफतारी सुनिश्चित की जाय। इस दौरान यदि कोई शस्त्र फैक्ट्री की सूचना मिले तो उसे हर दशा में पकड़ें यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यवाही होगी।

अन्तर्गत धारा 116(3) जा0फौ0 के अन्तर्गत वास्तविक अपराधी प्रवृत्ति एवं दबंग व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करनी है। इसके लिए सबसे पहले सही चिन्हीकरण कर लें कि किसके विरूद्ध 117/116 जा0फौ0 के अन्तर्गत रिपोर्ट प्रेषित करनी है तत्पश्चात् रिपोर्ट प्रेषित की जाय एवं जिस दिन एसडीएम को रिपोर्ट भेजें तत्काल अपना बयान करा दें तथा नोटिस निकलवाएं और तत्परतापूर्वक पाबन्द की कार्यवाही करायें तथा शरारती तत्वों को चिन्हित कर उनकी अपराध में सक्रियता एवं उनके अपराधिक इतिहास के आधार पर नियमानुसार अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही तत्परतापूर्वक पूर्ण की जाय।

वल्नरेबिलिटी का सम्बन्ध राजनैतिक व्यक्तियों, धनबल का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों तथा आपराधिक कारकों से है। बल्नरेबिलिटी के आधार पर पुलिस फोर्स का डिप्लायमेंट किया जाना है तथा वल्नरेबिलिटी को दृष्टिगत रखते हुए हर दूसरे या तीसरे गांव जांय और वहां पर चौपाल लगायें। ऐसा करने पर चुनाव लड़ने वाले खुलकर बिना भय एवं डर के चुनाव लड़ सकेगें तथा मतदाता भी बिना भय के मतदान कर सकेगें। आप लोग अपने-अपने थाना क्षेत्र के बाहुबलियों का डोजियर बना लें, उनका आपराधिक इतिहास भी तैयार कर लें, तद्नुसार नियमानुसार कार्यवाही करें।

पूर्व चुनाव में जिसने दबंगई किया है उन्हें चिन्हित करते हुए आगामी होने वाले विधान सभा चुनाव में उनके द्वारा चुनाव को कैसे प्रभावित करने का प्रयास किया जायेगा इसकी समीक्षा कर दबंगों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाय। मॉडल कोड आफ कंडक्ट एवं वल्नरेबिल के संबंध में निर्गत निर्देशों का अध्ययन कर लें। सभी थानाध्यक्षों के पास वोटर लिस्ट होना आवश्यक है। मतदान के दिन बूथ पर ड्यूटी लगी होती है। वोट डलवाने के लिए मतदान के दिन असमाजिक तत्व मतदान केन्द्र अथवा उसके आस-पास मौजूद होते है, ऐसे लोग अपने पक्ष के प्रत्याशी को वोट देने के लिए दबाव बनाते हैं। ऐसे लोगों को अभी से चिन्हित कर उनको धारा 116(3) जा0फौ0 के अन्तर्गत पाबन्द करायें।

एरिया डामिनेसन के लिए 01 कम्पनी सी0आर0पी0एफ0 मिली हुई है। प्रत्येक थाना प्रभारी अपने अपने थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च करवा लें इससे जनता में अच्छा संदेश जायेगा। साम्प्रदायिक दंगा कराने के लिए कुछ लोग प्रयास कर सकते हैं। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेस बुक पर जब मैसेज आये तो तत्काल कार्यवाही करें। जनपद प्रतापगढ़ में गोकसी की शिकायतें मिल रही हैं। गोकसी बिना थाना प्रभारी की मिली भगत के नहीं हो सकती है। उपस्थित थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि यदि आप सब के थाना क्षेत्रान्तर्गत गोकसी हो रही है, तो तत्काल बन्द करायें। यह बहुत ही गम्भीर प्रकरण है। यदि किसी प्रभारी अथवा कर्मचारी के विरूद्ध ऐसी शिकायत मिलती है एवं इसकी पुष्टि होती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि प्रातः काल में अपने क्षेत्र के मन्दिर एवं मस्जिद का भ्रमण कर लें एवं यह देख लें कि कहीं पर कोई आपत्तिजनक सामग्री न हो जिससे कोई साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो क्यों कि शरारती तत्व ऐसे समय में सक्रिय होकर साम्प्रदायिक तनाव की समस्या उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसी किसी भी सूचना पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाय जिससे कि कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। यहाँ यह भी

उल्लेखनीय है कि आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव एवं होली त्यौहार आस-पास होंगे इस त्यौहार पर लोग रंग का प्रयोग करते हैं, इसे लेकर कोई विवाद की स्थिति न बने इसलिए इस ओर सतर्क रहना पड़ेगा, सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी होना अनिवार्य है। चुनाव के दौरान वी0आई0पी0 एवं वी0वी0आई0पी0 महानुभावों का भ्रमण कार्यक्रम होगा। इसलिए उनकी सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

महिलाओं के विरूद्ध उत्पीड़न सम्बन्धी यदि कोई प्रकरण आये तो उन प्रकरणों में मुकदमा अवश्य लिखे एवं तत्काल नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही करें। जनपद प्रतापगढ़ में माह दिसम्बर से अब तक 24 लूट की घटनाएं घटित हुई है, जिसमें से एक-दो को छोड़कर अन्य किसी भी घटना का अनावरण नहीं हुआ है। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है, जो स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगा रही है। थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि लूट की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगायें तथा लूट की घटनाओं का शीघ्र अनावरण कर लूटे गये माल की बरामदगी एवं अभियुक्तों की शीघ्र गिरफतारी सुनिश्चित करें।

गोष्ठी में उपस्थित सभी अधिकारीगण से अपेक्षा की गयी कि एक टीम भावना से कार्य करते हुए विधान सभा चुनाव-2017 की निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढ़ग से सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित करेगें। लूट की घटनाएं जिनका अनावरण नहीं हुआ है, के अनावरण हेतु सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर उसका समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रतिदिन की गयी कार्यवाही की समीक्षा सम्बन्धित अपर पुलिस अधीक्षक से कराया जाए।

अन्त में गोष्ठी सधन्यवाद समाप्त करते हुए अपेक्षा की गयी कि सभी अधिकारी निर्देशानुसार अपेक्षित अनुपालन सुनिश्चित करके निर्दिष्ट कार्यवाहियॉ तत्काल अपने निकट पर्यवेक्षण में सुनिश्चित कराते हुए जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनाये रखेंगे तथा विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017 को सकुशल सम्पन्न करायेंगे।

(डा0 के0एस0 प्रताप कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक,
इलाहाबाद जोन, इलाहाबाद।
o/c

पत्र संख्याः एजेड/रीडर-अपराध समीक्षा(मासिक)/2017
दिनांकः इलाहाबादः जनवरी 16 , 2017

प्रतिलिपिःनिम्नांकित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अनुपालन कराये जाने हेतु।
1. पुलिस उपमहानिरीक्षक इलाहाबाद परिक्षेत्र, इलाहाबाद।
2. पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।